फा. सं. ई-11014/3/2025-हिंदी

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक: 23.09.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक के आयोजन की सूचना के संबंध में।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 28.09.2026 (सोमवार) को 11:00 बजे (पूर्वाह्न) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में होनी निश्चित हुई है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। बैठक की कार्यसूची संलग्न है।

संलग्नक यथोपरि

संगीता

(संगीता टी.)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23310408

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. उप-सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सिटी सेन्टर - II भवन, बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि सूचनार्थ,

1. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
2. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के प्रधान निजी सचिव।

फा.सं. ई-11014/3/2025-हिंदी

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(राजभाषा विभाग)

विषयः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं बैठक की कार्यसूची।

मद स.	कार्यसूची का विषय
1.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 94वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 94वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (अनुलग्नक)।
3.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की जून, 2026 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा।
4.	राजभाषा नियम 1976 के नियम-5 के अनुपालन पर चर्चा।
5.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन संबंधी।
6.	कार्यालय के हिन्दी पत्राचार सहित अन्य मुख्य मदों संबंधी चर्चा।
7.	संसदीय समिति के निरीक्षण संबंधी प्रश्नावली के मंत्रालय संबंधी मदों (पृष्ठ 58-69 तक) हेतु आंकड़े/सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।
8.	अनुवाद सामग्री को बिना हाइलाइट किये संशोधित प्रति भेजे जाने और एनआईसी ईमेल के अतिरिक्त वाट्सअप आदि अन्य माध्यमों से सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद की मांग किए जाने संबंधी।
9.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की हिंदी पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने संबंधी चर्चा।
10.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।

फा.सं.ई-11/1/2026-हिंदी

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(राजभाषा अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक: 25.08.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का होना अपेक्षित है। वर्तमान में विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन को काफी समय हो गया है तथा संबंधित अधिकारियों के प्रभार/कार्यभार में परिवर्तन को देखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसकी संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पदनाम	अभियुक्ति
1.	आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी	अध्यक्ष
2.	निदेशक (समन्वय)	सदस्य
3.	निदेशक (एनएचपी)	सदस्य
4.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एफएम)	सदस्य
5.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पेन रिवर)	सदस्य
6.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी)	सदस्य
7.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एसपीआर-I)	सदस्य
8.	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एसपीआर-II)	सदस्य
9.	उप सचिव (प्रशासन)	सदस्य
10.	उप सचिव (सामान्य प्रशासन)	सदस्य
11.	उप सचिव (स्था.-I)	सदस्य

12.	उप सचिव (स्था.-II)	सदस्य
13.	उप सचिव (स्था. III)	सदस्य
14.	उप सचिव (स्था-IV)	सदस्य
15.	उप सचिव (जीडब्ल्यूई)	सदस्य
16.	उप सचिव (पीएसयू)	सदस्य
17.	उप सचिव (आईएफडी)	सदस्य
18.	उप सचिव (सिंधु)	सदस्य
19.	उप सचिव (ईए एवं आईसी)	सदस्य
20.	उप सचिव (ई-गवर्नेस)	सदस्य
21.	संयुक्त निदेशक (एमआई)	सदस्य
22.	संयुक्त निदेशक (पीयू)	सदस्य
23.	संयुक्त निदेशक एमआई (स्टेट)	सदस्य
24.	उपायुक्त (बी एवं बी)	सदस्य
25.	अवर सचिव (बीएम)	सदस्य
26.	उप निदेशक (सीएडीडब्ल्यूएम)	सदस्य
27.	निदेशक (रा.भा.)	सदस्य सचिव

(संगीता टी.)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
3. उप सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन डी सी सी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे इन्ट्रानेट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

1. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव (जे. एस. आर. डी.) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के निजी सचिव।
4. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।